न्य यालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर केम्प - भोपाल

निग0 3613-PBR/15 प्रकरण क्रमांक ....

श्री राधावल्लभ पंजीयत न्यास
द्वारा:-सभी न्यासियों द्वारा अधिकृत कोषाध्यक्ष
न्यासी कुमारी शान्ति सक्सैना पुत्री स्वर्गीय -
नर्बदाचरण लाल सक्सैना आयु-वयस्क निवासी-
बगलवाड़ा रोड बरेली तहसील-बरेली जि0 रायसेन (म0प्र0)

श्री के0पी0 दुबे अधि0 द्वारा प्रस्तुत 28/10/15 को ७३२।

----- निगरानीकर्ता/आवेदिका

-- विरूद्ध --

Noted for 28/10/015

1- नारायणसिंह आत्मज प्रेमसिंह राजपूत आयु-
वयस्क निवासी ग्राम-सिनवाह तह0 बरेली
जिला -रायसेन ।

2- अतुल पारिख आ0 स्व. नरेन्द्र पारिख आयु-
लगभग 54वर्ष निवासी- 89/1 रामानंद कॉलोनी
लालघाटी - भोपाल ।

3- श्रीमति मोहेनीदेवी आयु लगभग 76वर्ष बेवा -
स्व0 नरेन्द्र पारिख निवासी- 89/2 ,
रामानंद कॉलोनी,लालघाटी- भोपाल ।

4- श्रीमति शशि तिवारी आयु लगभग 66 साल पत्नि
स्व0 हरिनारायण तिवारी निवासी- 14,
कृष्णा सेजवार - भोपाल ।

5- श्रीमति गायत्रीदेवी आयु-लगभग 63 साल पत्नि
श्री आर0बी0 उपाध्याय निवासी- 13,दुर्गेश विहार
नरेला शंकरी,मिनाल, जे0के0रोड - भोपाल ।

6- श्रीमति शारदा शर्मा आयु लगभग 61 साल पत्नि
श्री विजेन्द्र शर्मा निवासी- 4/57 ग्रीन सिटी
त्रिलंगा- भोपाल ।

---निरंतर--- 2

7- श्रीमति पुष्पा शर्मा आयु लगभग-58 वर्ष
पत्नि श्री पी0एस0 शर्मा निवासी-26,
अन्त्योदय नगर,बैंक कॉलोनी- भोपाल ।

8- श्रीमति छाया त्रिपाठी आयु लगभग 48 वर्ष
पत्नि श्री यदुनंदन त्रिपाठी निवासी- 97,
चंद्रिका हाउसिंग सोसायटी,बावड़िया कलां-भोपाल।

9- श्रीमति माया जोशी आयु लगभग 50 वर्ष
पत्नि श्री पुष्पक जोशी निवासी- 22 अनुराग नगर
ए0बी0रोड - इन्दौर ।

10- श्रीमति नीलमा पालीवाल आयु लगभग 46 वर्ष पत्नि
विनीत पालीवाल निवासी- 24,रामानंद कॉलोनी
लालघांटी- भोपाल ।

11- मनीष पारिख आयु लगभग 43 साल आत्मज स्वर्गीय
नरेन्द्र पारिख निवासी-छोटा बाजार बरेली
तह0बरेली जिला- रायसेन ।

-- --- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0 भू रा0 संहिता-1959.

महोदय,

निगरानीकर्ता/आवेदिका द्वारा श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी बरेली के प्रकरण क्रमांक 11/अपील/अ-06/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 8/9/2015 से दुखित एवं असंतुष्ट होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर प्रस्तुत है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3613-PBR/15 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–11–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–9–15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश का विवादित मूल प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्राप्त हो चुका है, अतः तहसीलदार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है । उक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थगन आदेश निरस्त करने में वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 14 (3) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 8–7–2004 को स्थगन आदेश पारित किया गया है, और दिनांक 22–01–05 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित अपील निरस्त हो चुकी है, ऐसी स्थिति में दिनांक 8–7–2004 के पूर्व की स्थिति कायम करने का कोई औचित्य नहीं है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	